राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः 8-12-14

परिपत्र–7

यद्यपि भामाशाह योजना–2014 के अन्तर्गत परिवारों का त्रुटिरहित नामांकन किये जाने के पूर्ण प्रयास किये गये हैं, फिर भी भामाशाह शिविर में किन्हीं परिवारों द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने के परिणामस्वरूप इन परिवारों के नामांकन डेटा में निम्न प्रकार की त्रुटियों/अधूरी सूचनाओं के अंकित होने की संभावना हो सकती हैः–

1. परिवार के किसी सदस्य के नाम अथवा पते में त्रुटि या अपूर्णता।
2. परिवार से या सदस्यों से सम्बन्धित सूचना त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/अंकन नहीं होना।
3. परिवार के कुछ सदस्यों का नामांकन नहीं होना।

ऐसे परिवार/परिवार का कोई सदस्य इस प्रकार की त्रुटियों/अपूर्णताओं के कारणवश राज्य सरकार द्वारा भामाशाह नामांकन के आधार पर दिए जा रहे पारिवारिक या व्यक्तिगत लाभों से वंचित न रहे, इसके लिए भामाशाह नामांकन की सूचना में संशोधन/अद्यतन की व्यवस्था ब्लॉक में राजसम्पर्क आई.टी. केन्द्र तथा निकटस्थ ई–मित्र केन्द्र पर की गई है। यह संशोधन/अद्यतन 10 रूपये शुल्क (प्रति कार्ड संशोधन/अद्यतन) जमा करवाकर व निम्नलिखित शर्तो का पालन कर करवाया जा सकता हैः–

1. केवल ऐसे परिवार जिनका भामाशाह कार्ड जारी हो चुका है, के मुखिया/वयस्क सदस्य द्वारा भामाशाह कार्ड/संबंधित सूचना में अद्यतन/संशोधन हेतु आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के समय बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा।
2. डिजीटल आवेदन पत्र की एक प्रिन्ट प्रति व 10 रु. की पावती आवेदक को दी जाएगी।
3. परिवार के किसी सदस्य का नाम जुड़वाना हो तो नये सदस्य को स्वयं उपस्थित होकर कियोस्क पर ही फोटो खिंचवानी होगी।
4. नये सदस्य के क्रम में अथवा परिवर्तित करवायी जा रही सूचना के क्रम में, परिपत्र संख्या–1 दिनांक 18.07.2014 के परिशिष्ठ–8 में उल्लेखित प्रमाण दस्तावेज़ कियोस्क पर उपलब्ध कराना होगा।

5. संबंधित ब्लॉक में राजसम्पर्क आई.टी. केन्द्र/निकटस्थ ई-मित्र केन्द्र द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज की प्रति स्कैन कर आवेदन के समय भामाशाह पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा।

6. भामाशाह कार्ड/सूचना में संशोधन/अद्यतन का सत्यापन क्षेत्र के संबंधित सत्यापकों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कर किया जाएगा जिसके उपरान्त ही संशोधन/अद्यतन प्रभावी होगा। सत्यापन कार्य, आवेदन के 10 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से किया जाए।

7. सत्यापन की दिनांक से 10 दिवस उपरान्त ई-भामाशाह कार्ड सृजित होगा जिसकी प्रति आवेदक परिवार का कोई भी नामांकित सदस्य किसी भी ब्लॉक में राजसम्पर्क आई.टी. केन्द्र/निकटस्थ ई-मित्र केन्द्र पर स्वयं का बायोमैट्रिक सत्यापन करवाकर निर्धारित शुल्क पर प्राप्त कर सकता है।

8. आवेदन शुल्क के अतिरिक्त संशोधन/अद्यतन की दरें निम्नानुसार होगीः-

कार्य	दर
परिवार/परिवार के सदस्य से संबंधित सूचना अद्यतन हेतु मूल दस्तावेजों का स्कैन व अपलोड कार्य	5 रूपये प्रति पृष्ठ
नये सदस्य का नाम जोड़ने का कार्य	10 रूपये प्रति सदस्य
ई-भामाशाह कार्ड का श्वेत-श्याम प्रिन्ट	5 रूपये प्रति प्रिन्ट
ई-भामाशाह कार्ड का रंगीन प्रिन्ट	10 रूपये प्रति प्रिन्ट

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि-

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान।
8. निदेशक (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लि., जयपुर, राजस्थान।
9. गार्ड पत्रावली।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना